छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, (छ.ग.) 492002

विज्ञापन

कमांक 2188 / 21–अ / स्था. / 2022, नवा रायपुर, दिनांक 04 / 03 / 2022

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनॉक 09.03.2022 से दिनॉक 03.04.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

(1) (पद का नाम – सहायक ग्रेड़–3)

स.क्र.	कार्यक्रम	तिथि एवं समय
1.	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	09.03.2022 (बुधवार)
2.	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	03.04.2022 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3.	त्रुटि सुधार	04 से 06 अप्रैल 2022 तक
4.	व्यापम द्वारा वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	16.04.2022 (शनिवार)
5.	परीक्षा की तिथि (संभावित)	24.04.2022 (रविवार)
6.	परीक्षा का समय	पूर्वान्ह 9:00 से 12:15 बजे तक
7.	परीक्षा केन्द्र	प्रदेश के 05 संभागीय मुख्यालयो में

(2) रिक्त पदों में आरक्षण की जानकारी

पद नाम एवं संख्या – सहायक ग्रेड़–3– 13 पद (13 सीधी भर्ती)

क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद की संख्या	पद संख्या			
			अना.	महिला	दिव्यांगजन	भ.पू.सै.
1.	अनारक्षित	5	4	1	0	0
2.	अनुसूचित जाति	2	2	0	0	0
3.	अनुसूचित जनजाति	4	3	1	0	0
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर)	2	2	0	0	0
	योग	13	11	2	0	0

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार अथवा संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(3) पद के लिए शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताए :–

(1) सहायक ग्रेड़–3

(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र

(3) मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखक मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति एवं (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र।

नोट :– (1) उपरोक्त 1, 2 एवं 3 का डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनॉक को धारित हो।

(2) उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा का समय ही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :– (1) उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है। अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

(2) सहायक ग्रेड़–3 के पद पर नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–1/2008/1/3 दिनॉक 01.02.2013, क्रमांक एफ 09–4/2015/1/3 दिनॉक 23.01.2015 तथा क्रमांक एफ 9–4/2017/1–3, दिनॉक 22.01.2018 द्वारा निर्धारित की गई है, के अनुसार होगी।

(4) आयु सीमा – अभ्यर्थी की आयु दिनॉक 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2022 में निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(5) नियुक्ति के लिए शर्ते –

(1) आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।

(2) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह किए हों, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगें।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनॉक 29.06.2012 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र/1–3, दिनॉक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप – (एक) के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय मूल/स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर लेवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

(6) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

(7) चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन के पश्चात् सेवा में लिया जायेगा।

(8) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को अधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी। यदि आयु समान हो तो लिखित परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।

(9) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तो का पालन नही किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(10) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विधि और विधायी कार्य विभाग को होगा।

(6) परिवीक्षा—

परिवीक्षा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी तथा नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कमशः उस पर के वेतनमान के न्यून्तम 70,80 एवं 90 प्रतिशत राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जायेगा।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, व्यापम की परीक्षा संचालन नियम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध होगा।

4/3/22

(उमेश कुमार काटिया)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग